न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 50/2017

प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 20/06/2017

निर्णय दिनांक : 19/03/2019

मदन पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 49 साल, जाति जाट, निवासी कापडियावासखुर्द, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती
(अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – श्री मुकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी बाबत तरमीम दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात के साबिक व हाल खसरा निम्नानुसार है :–

हाल खसरा नम्बर	क्षैत्रफल हैक्टेयर में	साबिक खसरा नम्बर	क्षैत्रफल हैक्टेयर में
85	0.0600	63/1/2	0.06
कुल किता 01	कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर	कुल किता 01	कुल रकबा 0.06 हैक्टे.

उपरोक्त आराजीयात वाके ग्राम कापडियावास खुर्द, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 में स्थित हैं, जिसमें प्रार्थी 1/4 हिस्से का एकमात्र काबिज काश्त है एवं खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 85 गै.मु. चाह है,

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है तथा उक्त कुयें से अपने हिस्से से प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजीयात में पिलाई कर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। उक्त हाल खसरा नम्बर 85 का साबिक खसरा नम्बर 63 रकबा है, जो बहुत बडा रकबा था, जो प्रार्थी व उसके अन्य सहखातेदार / भाईयों की आराजीयात रही है, जिसका सहमति से पक्षकारान के मध्य विभाजन किया गया, जिसमें अन्य आराजीयात का विभाजन कर प्रार्थी व उसके अन्य सहखातेदार अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हो गये, लेकिन उक्त कुंआ जो कि जिसके नये खसरा नम्बर 85 कायम किये गये, उसको शामलाती में ही रखा गया था, चूंकि खसरा नम्बर 63 बडा रकबा था, जिसके साबिक नक्शे में न तो विभाजन हो रखा था न ही तरमीम हो रखी थी, लेकिन इसके पश्चात उक्त खसरा नम्बर 63 के टुकडे कर कुंये का हाल खसरा नम्बर 85 कायम किया गया था, जिसमें कुये को शामलाती रखा गया था, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है, लेकिन हाल नक्शे में जो तरमीम की गयी, उसमें उक्त कुयें को खसरा नम्बर 83 में तरमीम कर दी गयी, जबकि खसरा नम्बर 83 को विभाजन के पश्चात सम्पूर्ण नम्बर ही सुरजमल पुत्र श्योला के नाम दर्ज हो रखा है, उक्त खसरा नम्बर 85 में स्थित कुंये की तरमीम गलत रूप से खसरा नम्बर 83 में की गयी है, जबकि उक्त कुये को विभाजन के पश्चात शामलाती में ही रखा गया था तथा वर्तमान में भी उक्त कुये से प्रार्थी व उसके अन्य सहखातेदारान शामलाती में ही सिंचाई कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। इस प्रकार खसरा नम्बर 85 की जो गलत रूप से तरमीम की गयी है, वह मात्र राजस्व कारकुनानों द्वारा गलत रूप से की गयी है, जो जमाबन्दी एवं साबिक नक्शे एवं मौके पर कब्जे काश्त से भलींभांति साबित है, इस प्रकार उक्त त्रुटि काबिले दुरूस्तनीय हैं। नवीन सेटलमेण्ट के वक्त सैटलमेण्ट कर्मचारियों द्वारा त्रुटि कारित करते हुए मौके पर कुये के विपरीत जाकर तरमीम कर दी गई, जबकि विधि अनुसार सैटलमेण्ट कर्मचारियों को इस प्रकार से तरमीम करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, सैटलमेण्ट कर्मचारियों द्वारा बिना किसी प्राधिकारी के आदेश के इस प्रकार की तरमीम नहीं की जा सकती। सैटलमेण्ट विभाग द्वारा किया गया कृत्य पूर्णतया विधि विरूद्ध एंव बिना क्षैत्राधिकार के होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी मौके पर कुये का उपयोग उपभोग हिस्से अनुसार एवं साबिक नक्शे की तरमीम अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी ने दिनांक 21/05/2017 को प्रार्थी ने जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत तरमीम की जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जिन्होनें

उपखण्ड अधिकारी दूदू

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया, जिससे प्रार्थी को अपने हितों की रक्षार्थ यह तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना–पत्र व स्थगन प्रार्थना–पत्र पत्र पेश किया जाना लाजिमी हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये अन्त में अनुतोष चाहा कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर हाल खसरा नम्बर 83 में जो गै.मु. चाह की तरमीम की गयी है, उसको हजफ की जाकर उक्त गै.मु चाह को हाल खसरा नम्बर 85 में अवस्थित कर नवीन तरमीम मौके की स्थिति अनुसार की जावें। इस हेतु तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर को लिखा जावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गयी। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैराकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात सिजरा प्रमाण–पत्र, नक्शा नया व पुराना, मिलान क्षैत्रफल, जमाबन्दी पर्चा तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हाल नक्शा व साबिक नक्शा का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खसरा नम्बर 85 के अनुसार खातेदार कन्हैयालाल, सुरजमल, रामलाल पि. श्योला कौम जाट, मु. मोहनी ध. प. स्व0 श्रवण कौम जाट सा0 देह शामलाती में दर्ज है, जो सही है, लेकिन इसमें खसरा नम्बर 85 रकबा 0.06 हैक्टेयर दर्ज है, जबकि मुताबिक जमाबन्दी उक्त खसरा नम्बर के स्थान पर खसरा नम्बर 83 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु. चाह की तरमीम होनी चाहिये थी। जमाबन्दी के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 83 रकबा 0.01 हैक्टेयर को अकेले सुरजमल के नाम से दर्ज कर रखा है, जबकि प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से तकासमें में उक्त खसरा नम्बर सामलाती में रखा गया था। इस प्रकार अवलोकन से हाल नक्शे में जो तरमीम की गयी है, वह मौके पर उपयोग के अनुसार नही की गयी पाया जाता हैं, जो कि प्रथम दृष्ट्या सहवन से सैटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती से होना पाया जाता हैं, तहसीलदार मौजमाबाद ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम कापडियावासखुर्द के पुराने खसरा नम्बर 63/1/2 है, जिसके नये खसरा नम्बर 85 रकबा 0.06 हैक्टेयर है वर्तमान खसरा नम्बर 85 कन्हैयालाल

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

सुरजमल, रामलाल पि. श्योला जाति जाट व मोहनी धर्मपत्नी श्रवण जाति जाट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसकी किस्म चाही–3 हैं। मौके पर खसरा नम्बर 85 की तरमीम गलत जगह कर दी गयी है, मौके पर खसरा नम्बर 83 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु. चाह है, वरवक्त तकासमा के समय खसरा नम्बर 63/1/2 शामिल गै. मु. चाह के लिये रखी थी। अतः खसरा नम्बर 85 की तरमीम हजब कर खसरा नम्बर 83 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु. चाह की तरमीम चाही है एवं खसरा नम्बर 84 में से 0.05 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 83 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल 0.06 हैक्टेयर की तरमीम की शुद्धि की जावें।" इस प्रकार उपर्युक्त दस्तावेजो के अवलोकन एवं तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि हाल नक्शा में तरमीम मौके की स्थिति के विपरीत की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण हैं, जो तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट से स्पष्ट हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 83 व 85 की तरमीम हजफ की जाकर मुताबिक मौके पर काबिज एवं गै.मु. चाह के अवस्थिति अनुसार नवीन तरमीम दुरूस्त कर दर्ज की जाती हैं। तहसीलदार मौजमाबाद को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक निर्णय हाल नक्शे में तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner